दिनांक 23.10.2017

स्वच्छ भारत अभियान **स्वच्छ एवं सुदर भिलाई**

प्रधानमंत्री आवास योजना में नियमों में आई और अधिक शिथिलता
मकान तोड़ते ही मिलेगी प्रथम किश्त की राशि

भिलाईनगर/ प्रधानमंत्री आवासीय योजना में मकान बनाने के लिए चयनित हितग्राहियों द्वारा अपना पुराना कच्चा मकान तोड़ लिये जाने पर ही मकान बनाने की प्रथम किश्त की राशि प्रदान कर दी जायेगी। पूर्व में मकान बनाते समय फाउंडेशन हो जाने के बाद प्रथम किश्त की राशि प्रदान की जाती थी । शासन द्वारा नियमों में संसोधन किया गया है। यह केन्द्र सरकार की अति महत्वकांक्षी योजना हैं, जिसके तहत् प्रत्येक कच्चे घर वालों को पक्का आवास मुहैया कराना हैं । यहॉ महत्वपूर्ण बात यह है कि उस आवेदक का भारतवर्ष में कहीं भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए, उनके परिवार की वार्षिक आमदनी 3 लाख तक होनी चाहिए, 01 सितम्बर 2015 के पूर्व नगर पालिक निगम भिलाई का निवासी होना जरुरी है, एवं अन्य शासकीय आवासीय योजना में पूर्व में लाभ न लिया गया हो।

आयुक्त के0एल0 चौहान द्वारा समीक्षा बैठक के दौरान सभी जोन आयुक्तों एवं नोडल अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि अब त्यौहार बीत गया है अपने–अपने जोनों में जाकर सर्वे/सत्यापन का कार्य त्वरित गति से करें। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत् मकान बनाने के लिए चयनित हितग्राहियों का मकान तुरंत प्रारम्भ करवाते हुए एक विस्तृत रिपोर्ट एक सप्ताह में प्रस्तुत करें, अब किसी भी प्रकार की ढ़िलाई बर्दाश्त नहीं की जायेगी । यह ध्यान रखना होगा कि मकान बनाते समय शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन हो एवं गुणवत्ता का भी विशेष ध्यान रखा जावे।

निगम के अधिकारियों द्वारा आयुक्त चौहान को बताया गया कि चयनित हितग्राहियों द्वारा वर्षाऋृतु, पितृ पक्ष, नवरात्र, एवं दीपावली आदि पर्व के कारण मकान निर्माण करने के लिए असमर्थता बताई जाती हैं यद्यपि शासन द्वारा नगर पालिक निगम, भिलाई को प्रधानमंत्री आवास योजना में स्वीकृत हितग्राहियों को मकान बनाने के लिए पैसा स्वीकृत किया जा चुका हैं जिसे चार विभिन्न चरणों में निर्माण होने के पश्चात् तथा जियो टैग होने पर किश्त प्रदान किया जा रहा हैं। वर्तमान में निगम क्षेत्र में 75 मकानों का निर्माण इस घटक अंतर्गत प्रगतिरत् है, जिसमें से 3 आवास पूर्ण हो चुके हैं 45 लाख की अुनदान राशि हितग्राहियों के खाते में जारी किया जा चुका हैं निर्माणाधीन 72 मकानों में से 39 मकानों का छत ढ़लाई का कार्य पूर्ण हो चुका हैं। शेष 33 मकानों में भी शीघ्र ही कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा।

महापौर देवेन्द्र यादव, सभापति पी0 श्यामसुन्दर राव, सभी जोन के जोनाध्यक्ष, आयुक्त के0एल0 चौहान ने सभी नागरिकों से अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में भागीदार होकर इस योजना का लाभ उठायें। जिनके पास मकान नहीं हैं और भूखण्ड उपलब्ध हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बनवाने के लिए नगर पालिक निगम, भिलाई के समस्त जोन कार्यालयों एवं मदर टेरेसा नगर जोन पानी टंकी वाले कार्यालय में दस्तावेज जमा कर सकतें हैं। दस्तावेजों में सर्वे क्रमांक, समस्त परिवार का आधार कार्ड, आवेदक का वोटर आईडी, जन धन खाते के अतिरिक्त बचत खाते की पासबुक की फोटोकापी एवं स्वयं प्रमाणित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। शासन द्वारा

प्रदान की जाने वाली अनुदान राशि के अतिरिक्त स्वयं के लागत लगाकर मकान निर्माण कर सकतें हैं।

जन सम्पर्क अधिकारी
नगर पालिक निगम भिलाई